न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 81/2025

उनवान

रतनलाल पुत्र प्रसन्नलाल जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गोपाल पुत्र काना,
2. गोविंद पुत्र काना,
3. नंदलाल पुत्र महावीर,
4. रामप्रसाद पुत्र महावीर,
5. सजना पत्नि महावीर,
6. संतोष पुत्री महावीर,
7. अंजली पुत्री महावीर,
8. गोरधन पुत्र रामदेव,
9. रतनी पत्नि रामदेव,
10. सांवरा पुत्र रामदेव समस्त जाति माली निवासी रामसर,
11. उपपंजीक अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय नसीराबाद,
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद,

—: अप्रार्थीगण :— 2 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
11 व 12 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

13. सायरी देवी पत्नि प्रसन्ननलाल,
14. भागवतीदेवी पत्नि प्रसन्नलाल,
15. जतनलाल पुत्र प्रसन्नलाल,
16. मंजू पुत्री प्रसन्नलाल,
17. संजू पुत्री प्रसन्नलाल,
18. अंजू पुत्री प्रसन्नलाल,
19. सोनू पुत्री प्रसन्नलाल,
20. सूरजदेवी पत्नि रामनारायण,
21. सज्जन पुत्र रामनारायण,
22. सुमन पुत्री रामनारायण समस्त जाति जाट निवासी सनोद नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 14 से 22 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
13. अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:45:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

—— 2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आदेश

दिनांक : 24.9.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के वर्किंग खसरा नम्बर 5873 रकबा 8-14-0 प्रार्थीगण के पूर्वज रामधन पुत्र मूलचन्द जाति जाट की पुश्तैनी है। उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 41 से वर्किंग जमाबंदी में इन्द्राज दुरूस्ती के रूप में अप्रार्थी संख्या 11 से 10 केक पूर्वज बालू पुत्र नारायण माली के स्थान पर रामधन पुत्र मूलचन्द जाति जाट के नाम दर्ज की गयी। रामधन पुत्र मूलचन्द जाति जाट की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम हाल खसरा नम्बर 7893 रकबा 0.7050 व 7893/11064 रकबा 0.7050 अंकित करनके के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के नाम अंकित कर दी। जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 10 बिना किसी हक व अधिकार के उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व कब्जा करने पर आमादा है व भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 14 से 22 ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी हाल व साबिक राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 10/पूर्वज की खातेदारी में दर्ज थी। वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 593/609 में वर्किंग खसरा नम्बर 5873 रकबा 8-14-0 में भूमि बालू पुत्र नारायण माली के नाम दर्ज थी। सम्वत् 2051 से 2054 की खसरा गिरदावरी में भी उक्त आराजी में रामदेव काना पि. बालू का कब्जा काश्त अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि साविक व हाल राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थीगण/पूर्वज के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम उक्त आराजी खातेदारी अंकित होने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 41 में स्वीकार अथवा अस्वीकार होने का कोई अंकन नही है। उक्त नामान्तकरण के आधार पर वर्तमान इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थीगण उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल व साबिक राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण/पूर्वज की खातेदारी है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व बिना किसी ठोस कारण के स्थगन आदेश पारित करना न्योयोचित नही है। शेष तथ्यों को निर्धाररण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किये जाने से प्रार्थीगण को क्या अपूरणीय क्षति की संभावना है यह प्रार्थी सिद्व करने में असफल रहा है।

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने [illegible] पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक [illegible] सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के विरूद्ध [illegible] तदनुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:45:44 IST
Reason: SelfAttested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

आदेश :— अतः ग्राम रामसर के की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:45:44 IST
Reason: SelfAttested